भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **729**

दिनांक 6 फरवरी , 2020 / 17 माघ, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अनिवार्य उड़ान ड्यूटी

729. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री गुरजीत सिंह औजला:

श्री बिद्युत बरन महतो :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार/नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के संज्ञान में आया है कि कई एयरलाइन कंपनियां अपने पायलटों को अनिवार्य उड़ान ड्यूटी समय से अधिक समय तक काम करवा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डीजीसीए ने ऐसी विमान कंपनियों को अनिवार्य उड़ान ड्यूटी समय-सीमा का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विमान कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधरात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या भारत में एक पायलट को हल्के पिस्टन इंजन वाले विमान पर उड़ान भरने के 200 घंटे बाद योग्य माना जाता है जबकि अमेरिका और अन्य देशों में एक विमान सह-पायलट को कम से कम 1500 घंटे उड़ान भरने की आवश्यकता होती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समतुल्य देश के विमानन मानक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) एयरलाइन्स फ्लाइट क्रू संबंधी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) योजना की समीक्षा के दौरान, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने, मैसर्स गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड के मामले में परिचालक एवं फ्लाइट क्रू दोनों के द्वारा, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) में निर्धारित एफडीटीएल अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किये जाने के कई मामलों को पाया। ये उल्लंघन मुख्यतः

साप्ताहिक अवकाश की आवश्यकता, आराम करने के न्यूनतम समय, लगातार रात्रि परिचालनों आदि के कारण थे।

(ख) से (घ) मैसर्स गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड के उत्तरदायी प्रबंधक एवं निदेशक फ्लाइट ऑपरेशन को, इस बात के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उन्होंने फ्लाइट क्रू (पायलटों) को, उनकी अनुमोदित एफडीटीएल योजना का उल्लंघन करते हुए उन्हें नियोजित किया। एफडीटीएल के उल्लंघन के लिए मैसर्स गो एयरलाइंस के वैयष्टि पायलटों को डीजीसीए द्वारा चेतावनी पत्र भी जारी किए गए थे। उपरोक्त विषय पर सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में उठाये गये कदमों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया है जिसमें कि आने वाले दिन के परिचालन से पहले उनके द्वारा अपने रोस्टर का दैनिक आधार पर शाम को ऑडिट किया जाना शामिल है। इसके अलावा, डीजीसीए भी दैनिक निगरानी, ऑडिट और निरीक्षणों के द्वारा निरंतर निगरानी करके एयरलाइनों के द्वारा एफडीटीएल विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

(ङ) एवं (च) एक पायलट, एक विमान को 200 घंटे तक उड़ाने का अनुभव लेने के बाद व वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) के साथ किसी एयरलाइन के लिए उड़ान भर सकता है। सीपीएल के विशेषाधिकारों के अनुसार, इसका धारक किसी भी एयरक्राफ्ट जिसका समग्र भार 5700 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और जो कि उसके लाइसेंस की एयरक्राफ्ट रेटिंग में दर्ज होना चाहिए, के मुख्य पायलट के तौर पर कार्य कर सकता है। वे ऐसे विमान जिसमें सह-पायलट रखा जाना अनिवार्य हो और जिसकी उसके लाइसेंस के विमान रेटिंग में प्रविष्टि की गई हो, के सह-पायलट के रूप में विमान उड़ा सकता है। इसके अलावा, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) को प्राप्त करने के लिए, वायुयान नियमावली, 1937 के खंड ङ, अनुसूची II के अनुसार अभ्यर्थी को कम से कम 1500 घंटे की उड़ान पूरी करनी होगी। वायुयान नियमावली, 1937 में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस तथा एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित अपेक्षाएं व विशेषाधिकार, आईसीएओ अनुलग्नक I मापदंड एवं संस्तुत प्रथाओं की तर्ज पर हैं।

*****